# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–215 / प्रा0पत्र / 2022 दायर दिनांकः 02.09.2022

GCMS NO:- 2022/387

पीठासीन अधिकारीः– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. हेमराज आ0 कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. कमलेश आ0 कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
3. गीता बाई पत्नि सोनू जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
4. निर्मला पत्नि सोजीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
5. मदनलाल आ0 कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
6. रामस्वरूप आ0 औंकार जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
7. ललिता पत्नि धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
8. लादू आ0 लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
9. शिमला बाई पुत्री सोनू जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मोतीशंकर आ0 रामनाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. सुवालाल आ0 जगदीश जाति कुम्हार निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
3. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251(क) आर0टी0 एक्ट

**उपस्थिति–**

**प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।**

**अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।**

निर्णय दिनांक 16.08.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली भू.अ. नि. क्षैत्र रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 243 व खाता संख्या पुराना 225 की खसरा संख्या 1028 रकबा 3.8832 हेक्टयर, खसरा संख्या 1044 रकबा 3.4544 हेक्टयर, खसरा संख्या 20 रकबा 0.7766 हेक्टयर, खसरा संख्या 22 रकबा 0.0809 हेक्टयर, खसरा संख्या 23 रकबा 10.5494 हेक्टयर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.0728 हेक्टयर, खसरा संख्या 490 रकबा 0.0324 हेक्टयर, खसरा संख्या 660 रकबा 0.1456 हेक्टयर, खसरा संख्या 672 रकबा 1.5614 हेक्टयर, खसरा संख्या 677 रकबा 0.2751 हेक्टयर, खसरा संख्या 688 रकबा 1.3429 हेक्टयर, खसरा संख्या 693 रकबा 0.3155 हेक्टयर, खसरा संख्या 694 रकबा 0. 0890 हेक्टयर, खसरा संख्या 801 रकबा 2.5969 हेक्टयर, खसरा संख्या 842 रकबा 2.4513 हेक्टयर, खसरा संख्या 954 रकबा 0.3398 हेक्टयर कुल किता 16 कुल रकबा 27.9672 हेक्टयर कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण कृषि काश्त करता चले आ रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1028 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम बंबूली से लालगंज जाने वाले पक्के डामर रोड खसरा संख्या 1024 से फटकर खसरा संख्या 1025 में होता हुआ खसरा संख्या 1027 में खसरा संख्या 1026 की मेर के सहारे होता हुआ खसरा संख्या 1028 पर पहुँचता है। उक्त रास्ता करीबन 14 फीट चौडा है। जिसमें होकर प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, हल, कुली आदि कृषि यंत्रों को लेकर वर्षो आवागमन कर रहे है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट ''अ'' में दर्शाया गया है। इस रास्ते के अला[illegible] पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के खसरा संख्या 1028 पर आने जाने का अन्[illegible] कोई [illegible] नही है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी एवं नकल नक्शा ट्रेस आदि [illegible] किये।

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम बम्बूली में [illegible] खसरा संख्या 1028 पर आने जाने का वर्षो [illegible] रास्ता [illegible] रालडी ग्रेवल रोड [illegible] दिशा में स्थित गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 1037 में होता [illegible] खसरा संख्या 1036 व [illegible] संख्या 1069 की मेर से होता हुआ व खसरा संख्या 1033 के उत्तरी साईड मेंर पर होकर खसरा संख्या 1031,1032 के मध्य मेर से होता हुआ खसरा संख्या 1028 प्रार्थीगण के खेत तक बना हुआ है जो रास्ता निरन्तर निर्बाध वर्तमान में भी चालू है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा जिन भूमियों में से रास्ता चाहा है वो वादग्रस्त है जिसके सम्बन्ध मं स्थगन आदेश भी जारी हो रहे है। यह कि प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:44 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण को नवीन रास्ता प्राप्त करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार मुताबिक रिकॉर्ड कोई रास्ता दर्ज नही है तथा मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नहीं है। यह कि उक्त खसरा नम्बर 1028 तक पहुंचने के लिए रास्ता खसरा संख्या 1024 जो ग्राम बम्बली से लालगंज की ओर जाता है, इस रिकार्ड में दर्ज रास्ते से खसरा संख्या 1025 चारागाह एवं खसरा संख्या 1027 सिवायचक में से होकर पहुंच सकता है। जिसमें खसरा संख्या 1027 बा0A की 58 गट्ठा लम्बाई एवं 2 गट्ठा चौडाई अर्थात् कुल 116 वर्ग गट्ठा भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि उक्त रास्ते के अलावा मौके पर उन्य कोई निकटतम रास्ता मौजूद नहीं है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी, अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि खसरा संख्या 1027 के सम्बन्ध में स्थगन के सम्बन्ध में दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर दिया गया। लेकिन अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज उक्त सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान रिकार्ड के अनुसार खसरा संख्या 1027 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने खसरा संख्या 1025 चारागाह को छोडकर रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अतः तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट के में से चारागाह को छोडकर शेष रास्ता दिया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली भू.अ.नि. क्षैत्र रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की खसरा संख्या 1028 भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1027 बा0A में से 58 गट्ठा लम्बाई एवं 2 गट्ठा चौडाई अर्थात् कुल 116 वर्ग गट्ठा भूमि, रास्ता नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट–''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:44 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट "क"

नक्शा
ग्राम - वखाली
तह०- नैनवा
जिला - बूंदी (राज०)

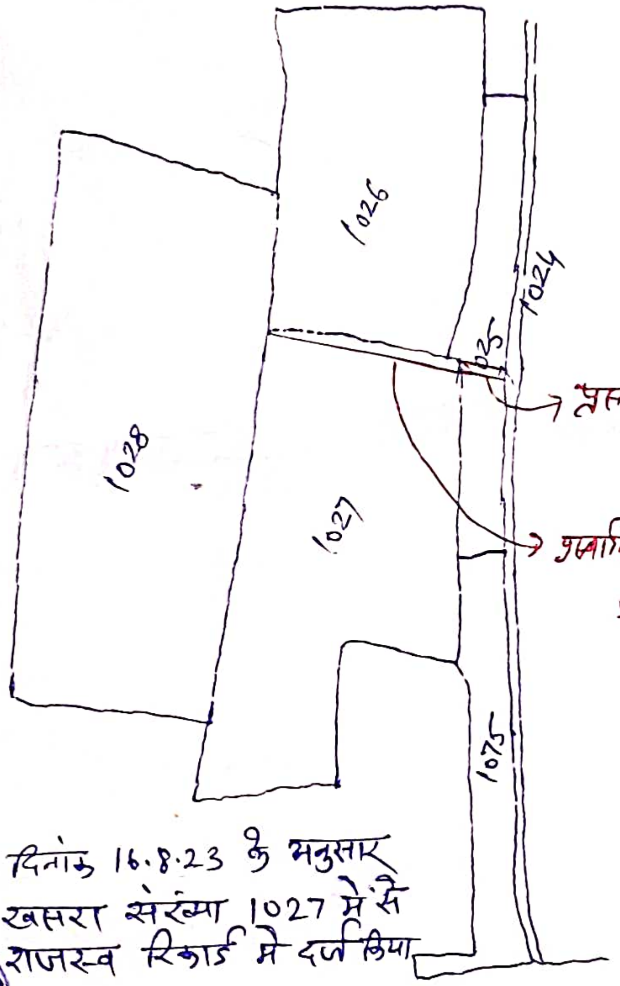


प्रस्तावित ख.न. 1025 मे-
13 गट्ठा X 2 गट्ठा = 26 वर्गगट्ठा

प्रस्तावित ख.न. 1027 मे-
58 गट्ठा X 2 गट्ठा = 116 वर्गगट्ठा

निर्णय दिनांक 16.8.23 के अनुसार केवल खसरा संख्या 1027 में से रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

तात्कालिक हल्का पटवारी
पटवारी
25.07.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:44 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/2023/ 245 दिनांकः– 17/8/23

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 215/प्रा0पत्र/2022

बउनवान हेमराज बनाम मोतीशंकर

निर्णय दिनांक 16.8.23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 15:52:44 IST
Reason: SelfAttested